

राजस्थान-सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक:- एफ.4(ई)/द्वितीय एसीपी 92/अलेसे-III/1318-1400

दिनांक:- 21/5/2014

आदेश संख्या - 423/2013-14

राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.11(7) वित्त(नियम)/2008/ दिनांक 12.9.2008 एवं आदेश संख्या एफ11(7) वित्त (नियम) पार्ट-I/ 2008 दिनांक 6.10.2008 के अनुसरण में निम्नांकित कनिष्ठ लेखाकारों जिन्होंने कनिष्ठ लेखाकार के पद पर 18 वर्ष की निरन्तर सन्तोषजनक सेवा पूर्ण कर ली है, को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम संख्या 5 में उल्लेखित दिनांक से कनिष्ठ लेखाकार के पद की द्वितीय आश्वासित कैरियर प्रगति (ए.सी.पी) पे-बैंड 2(9300-34800) ग्रेड पे 4200/- एवं राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प. 14(88)वित्त (नियम) 2008 दिनांक 5 जुलाई,2013 के अनुसरण में दिनांक 1.7.2013 से ग्रेड पे 4800/- में स्वीकृत की जाती हैं।

क्र. स.	नाम कनिष्ठ लेखाकार सर्व श्री	मेरिट / बैंच संख्या	क.लेखाकार पद पर प्रथम कार्यग्रहण तिथि	द्वितीय एसीपी देय तिथि	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	
01.	प्रवीण कुमार जैन	आर-120 / 90	03.01.1994	03.01.2014	परिनिन्दा एवं असंचयी प्रभाव से वेतन वृद्धि रोकने के दण्ड के फलस्वरूप दो वर्ष देरी से
02.	महेन्द्र कुमार अग्रवाल	डीजीएस	26.09.1995	26.09.2013	
03.	पुरुषोत्तम लाल पंचोली	डीजीएस	10.02.1995	10.02.2013	
04.	सुखाराम	50/92	04.03.1995	04.03.2013	
05.	तुलसा राम जाट	71/1992	14.03.1995	14.03.2013	
06.	कैलाश चन्द यादव	189/92	13.03.1995	13.03.2013	
07.	अशोक कुमार	आर-55/92	04.07.1995	04.07.2013	
08.	अशोक कुमार गुप्ता	आर-66/92	01.07.1995	01.07.2013	
09.	दिनेश कुमार लुणदिया	आर 127/92	15.06.1995 मध्यान्ह पश्चात	16.06.2013	
10.	बबीता शर्मा	आर-132/92	28.06.1995	28.06.2013	

उक्त कनिष्ठ लेखाकारों को वित्त विभाग के आदेश क्रमांक प014 (88) वित्त/ नियम/2008 दिनांक 31.12.2009 में दी गई शर्तों के संबंध में संतोषजनक सेवा सम्बन्धी प्रमाण पत्र तथा संतान संबंधी शपथ पत्र प्राप्ति के आधार पर आश्वासित कैरियर प्रगति(एसीपी) स्वीकृत की जाती है।

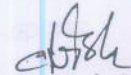
क्रम संख्य 1, 2 एवं 7 पर अंकित कनिष्ठ लेखाकारों के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन नियमानुसार उपलब्ध नहीं होने पर गत 9 वर्षों में से 7 वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन की उपलब्धता के आधार पर द्वितीय आश्वासित कैरियर प्रगति इस शर्त पर स्वीकृत की जाती है कि भविष्य में प्राप्त उक्त अवधि के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन में प्रतिकूल प्रविष्टि होने पर प्रकरण पुनः खोला जावेगा तथा वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन के आधार पर द्वितीय आश्वासित कैरियर प्रगति के बारे में निर्णय लिया जाकर तदनुसार संशोधित कर दिया जावेगा।

उपर्युक्त कनिष्ठ लेखाकारों का वेतन निर्धारण वित्त विभाग के उक्त आदेश दिनांक 12.9.2008 के पैरा 19 के अनुसार संबंधित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा निर्धारित किया जावेगा। वेतन निर्धारण से पूर्व

acp.doc

कमरा नम्बर 310, "ए" ब्लॉक, वित्त भवन, जनपथ, जयपुर 302015 (फैक्स नं. 0141-2742309)

कार्यालयाध्यक्ष द्वारा यह सुनिश्चित किया जावे कि संबंधित कर्मचारी संशोधित वेतनमान 2008 में वेतन प्राप्त कर रहा हैं एवं एसीपी स्वीकृति तिथि को इनके विरुद्ध कोई विभागीय जाचं लम्बित नहीं हैं। इस स्वीकृति व वेतन निर्धारण की प्रविष्टि आवश्यक रूप से संबंधित कनिष्ठ लेखाकार की सेवापुस्तिका में की जावे।

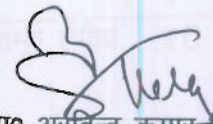

(वीरबाला जोशी)
निदेशक

क्रमांक:- एफ.4(ई)/द्वितीय एसीपी 92/अलेसे-III/1378-1400

दिनांक :- 21/4/2014

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं:-

1. विभागाध्यक्ष/ कार्यालयाध्यक्ष.....
2. श्री.....कनिष्ठ लेखाकार कार्यालय.....
3. निजी सहायक, निदेशक महोदया
4. कार्यालय अधीक्षक (गोपनीय शाखा) को प्रेषित कर लेख है कि उक्त कनिष्ठ लेखाकारों के भविष्य में वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन प्राप्त होने पर कोई प्रतिकूल प्रविष्टि प्राप्त होती है, तो उनके प्रकरण को पुनः खाले जाने के प्रस्ताव इस शाखा को प्रेषित करें।
5. उपनिदेशक(एसीपी) को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
6. निजी/गार्ड फाईल ।


(डा० अरविन्द कुमार मिश्रा)

अतिरिक्त निदेशक(कार्मिक-II)

acp.doc

कमरा नम्बर 310, "ए" ब्लॉक, वित्त भवन, जनपथ, जयपुर 302015 (फैक्स नं. 0141-2742309)